22-9-22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी
उप. नहीं। श्री वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को तीन
बार आवाज लगवाई गई बावजूद इन्तजार के
न्याया. में उप. नहीं। अतः प्रार्थी का आवेदन
पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली नतीजा मुरत्तब होकर बाद
तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:25:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner